वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.09.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर"अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, आज, दैनिक जागरण आइनेक्स्ट,परफेक्ट मिशन, न्यायाधीश,जनसन्देश टाइम्स राष्ट्रीय सहारा "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

हिन्दुस्तान–दि0 19.09.2024

सिगरा में बेसमेंट में चल रहा रेस्टोरेंट सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को सिगरा में बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को सील कर दिया। भवन संख्या डी 58/19 ए-4 में अवैध निर्माण और पार्किंग के स्थान पर अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट को बंद कराया गया। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने यह कार्रवाई की।

वीडीए की जांच में सामने आया कि भवन स्वामी ने ग्राउंड फ्लोर सहित दो मंजिल का नक्शा पास कराया था। जबकि तीसरी मंजिल अवैध रूप से बनाई गई। इस दौरान नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति मौजूद रहे।

अमर उजाला–दि0 19.09.2024

चौड़े और सुंदर बनेंगे चौराहे, विद्वानों की राय पर लगेंगे स्कल्पचर

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। शहर के चौराहों का सुंदरीकरण थीम आधारित किया जाएगा। इस कार्य में काशी के विद्वानों की राय ली जाएगी। इसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, संतों आदि को शामिल किया जाएगा। यह निर्देश बुधवार को सर्किट हाउस में प्रशासन के साथ हुई जनप्रतिनिधियों की समन्वय बैठक में राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने दिए।

मुख्यमंत्री की हिदायत और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इस तरह की हुई बैठक में राज्यमंत्री ने कहा कि जनता की सभी शिकायतों का निस्तारण पूरी तरह होना चाहिए। इसमें किसी स्तर पर लापरवाही न हो। थाने में आने वाले फरियादी के साथ मित्रवत व्यवहार हो। चौराहों का सुंदरीकरण थीम आधारित होना चाहिए। बैठक में वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शहर के विभिन्न चौराहों के सुंदरीकरण के लिए लगने वाले स्कल्पचर (मूर्तिकला) के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग तरह की सामग्रियों और तोंबों से त्रि-आयामी कलाकृतियां बनाई गई हैं। उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन दिया। राज्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन सामग्री का वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराएं। विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने सेवापुरी के विभिन्न गांवों में लटक रहे बिजली के तारों तथा जर्जर पोलों के बारे में बताया। विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय ने शहर में विभिन्न जगहों पर स्थानीय लोगों को टहलने हेतु पार्कों के निर्माण के लिए कहा।

सर्किट हाउस में बैठक में मौजूद राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल और अन्य। स्रोत-सूचना विभाग

खोदी गई सड़कें एक सप्ताह में होंगी दुरुस्त

लोक निर्माण विभाग को सड़कों के निर्माण के दौरान जलकल, सीवर की लाइन को क्षतिग्रस्त करने में सावधानी से कार्य करने को कहा। चीफ इंजीनियर जल निगम को हर घर नल योजना के दौरान पिछले एक महीने में खोदी गई सड़कों को अगले एक सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ताकि त्योहारों के दौरान आमजन को कोई दिक्कत नहीं होने पाए। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने लोकनिर्माण विभाग को सभी प्रमुख चौराहों की पहचान करते हुए वहां साइनबोर्ड लगाने को कहा ताकि जनता को सहूलियत हो सके। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को प्रमुख गलियों के सुंदरीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

यूपी कॉलेज में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाएगी स्मार्ट सिटी

ओलंपियन ललित उपाध्याय की ओर से हॉकी को बढ़ावा देने के लिए उदय प्रताप कॉलेज में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर मंडलायुक्त ने तत्काल प्रभाव से इस संदर्भ में प्रोजेक्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई करने को स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया। राज्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी को निर्माणाधीन सिगरा स्टेडियम के संदर्भ में खिलाड़ियों की राय लेने को कहा। वहीं, राज्यमंत्री ने जिलाधिकारी को बिजली विभाग की तीन वर्ष पूर्व में स्वीकृत बांस-बल्ली के स्थान पर दस हजार पोल लगाने की योजना की जांच कराने की जिम्मेदारी दी। कहा कि इसमें कमी मिले तो कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर लटक रहे तारों को स्टील पोल के माध्यम से व्यवस्थित कराने को कहा।

दैनिक जागरण –दि0 19.09.2024

पार्किंग में चल रहे रेस्टोरेंट पर वीडीए ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण भवनों की पार्किंग में संचालित दुकानों के खिलाफ अभियान छेड़े है। इस क्रम में बुधवार को सिगरा स्थित स्थित एक भवन की पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई।

वीडीए को शिकायती मिली थी कि बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट और तृतीय एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण में फोनिक्स जिम का संचालन हो रहा है। उसी शिकायत के आधार पर सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति ने संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया। मौके पर पाया गया कि भवन का व्यावसायिक निर्माण है। स्वीकृत मानचित्र के अलावा एक तल का अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है।

निर्माणकर्ता को अवैध रूप से एक तल अतिरिक्त निर्माण को हटाए जाने तथा भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद करते हुए पार्किंग के रूप में उपयोग किए जाने को निर्देशित किया गया।

दैनिक जागरण –दि0 19.09.2024

बांस से तार हटाने की योजना की होगी जांच

- सर्किट हाउस सभागार में प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की समन्वय बैठक में दिया निर्देश
- रवींद्र जायसवाल ने कहा- चौराहों के सुंदरीकरण का कार्य थीम आधारित हो, लगे साइन बोर्ड

जागरण संवाददाता, वाराणसी : स्टांप राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि बिजली विभाग तीन वर्ष पूर्व बांस-बल्ली के स्थान पर 10,000 पोल लगाने की योजना बनाई थी। जिलाधिकारी उसकी जांच कराकर उसमें कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही निर्देश दिया कि लटक रहे बिजली तारों को स्टील पोल के माध्यम से व्यवस्थित कराएं ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो।

रवींद्र जायसवाल बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर रहे थे। इस दौरान वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने विभिन्न चौराहों के सौन्दर्यीकरण के लिए स्कल्पचर (मूर्तिकला) के विषय में जानकारी दी। स्टांप मंत्री ने कहा कि चौराहों का सुंदरीकरण थीम आधारित हो। शिक्षाविदों, संगीतज्ञों आदि को शामिल कर उनकी भी सहमति ली जाए। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने लोकनिर्माण विभाग को सभी प्रमुख चौराहों की पहचान कर उक्त जगह के नाम का साइन बोर्ड लगाने को कहा ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। यूपीपीसीएल को प्रमुख गलियों के सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करने को निर्देशित किया। पीडब्ल्यूडी को सड़कों के निर्माण के दौरान जलकल, सीवर की लाइन को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में सावधानी से कार्य करने को कहा। जलकल को खोदी गयी सड़कों को एक सप्ताह में दुरुस्त करने को निर्देशित किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन सामग्री का वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में करने को निर्देशित किया। ओलंपियन ललित उपाध्याय द्वारा हाकी को बढ़ावा देने के लिए उदय प्रताप कालेज में एस्ट्रोटर्फ बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर मंडलायुक्त ने तात्कालिक प्रभाव से इस संदर्भ में प्रोजेक्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई करने को स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया गया। निर्माणाधीन सिगरा स्टेडियम के संबंध में खिलाड़ियों की राय लेने को निर्देशित किया। एमएलसी धर्मेंद्र राय ने कहा कि लोगों को टहलने के लिए पार्कों का निर्माण किया। खोजवां में विद्युत विभाग द्वारा लोगों के कनेक्शन का मुद्दा उठाया। जिलाधिकारी ने उसको दुरुस्त करने को निर्देशित किया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त एस चिनप्पा, सीडीओ हिमांशु नागपाल आदि उपस्थित रहे।

सर्किट हाउस में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई समन्वय बैठक। • सूचना विभाग

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 19.09.2024

पार्किंग में चल रहे रेस्टोरेंट पर एक्शन

VARANASI: विकास प्राधिकरण भवनों की पार्किंग में संचालित दुकानों के खिलाफ अभियान छेड़े है. इस क्रम में बुधवार को सिगरा स्थित स्थित एक भवन की पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई. वीडीए को शिकायती मिली थी कि बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट और तृतीय एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण में फोनिक्स जिम का संचालन हो रहा है. उसी शिकायत के आधार पर सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, नगर नियोजक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया. मौके पर पाया गया कि भवन का व्यावसायिक निर्माण है. स्वीकृत मानचित्र के अलावा एक तल का अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है. निर्माणकर्ता को अवैध रूप से एक तल अतिरिक्त निर्माण को हटाए जाने तथा भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद करते हुए पार्किंग के रूप में उपयोग किए जाने को निर्देशित किया गया.

आज–दि0 19.09.2024

अवैध निर्माण को लेकर रेस्टोरेंट संचालन पर वीडीए की काररवाई

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार को मिली शिकायत के आधार पर अवैध निर्माण के विरुद्ध काररवाई किया गया। इस दौरान सिगरा स्थित भवन संख्या डी-५८/१९ ए-ए में अवैध निर्माण और पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट के खिलाफ काररवाई की गयी। वही दशाश्वमेध वार्ड मे शिकायती पत्र के आधार पर बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट और तृतीय एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण में फोनिक्स जिम के संचालन की शिकायत की गयी थी। इसके बाद सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्रा एव नगर नियोजक प्रभात कुमार एव संबन्धित वार्ड के जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान मौके पर पाया गया कि भवन बी-जी-प्लस तीन तलों का व्यावसायिक निर्माण है, जबकि स्वीकृत मानचित्र केवल बी-जी-प्लस दो तलों का पाया गया। निर्माणकर्ता द्वार अवैध रूप से एक तल अतिरिक्त निर्माण को हटाये जाने तथा भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद करते हुए पार्किंग के रूप में उपयोग किये जाने को निर्देशित किया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स–दि0 19.09.2024

रामनगर में टूटी सीवरलाइन की मरम्मत का निर्देश

दिया निर्देश

सर्किट हाउस सभागार में प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की समन्वय बैठक आहूत

वाराणसी। सर्किट हाउस सभागार में बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की समन्वय बैठक हुई जिसमें, विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक में सर्वप्रथम वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों के सुंदरीकरण में लगने वाले विभिन्न स्कल्पचर (मूर्तिकला) जो की अलग-अलग तरह की सामग्री और तरीकों से त्रि-आयामी कलाकृतियां बनाई गयी हैं के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही चौराहों का सुंदरीकरण थीम आधारित करने को कहा गया। विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा रामनगर में लोकनिर्माण विभाग द्वारा निमार्णाधीन सड़क के दौरान जलकल तथा सीवर की क्षतिग्रस्त लाइन के संदर्भ में कहा गया, जिसपर मंडलायुक्त ने जलकल, लोकनिर्माण, रमना एसटीपी की संयुक्त टीम बनाकर गुरुवार को रामनगर का दौरा करने तथा जांच करते हुए तत्काल उसे दुरुस्त करने को निर्देशित किया गया। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने लोकनिर्माण विभाग को सभी प्रमुख चौराहों की पहचान करते हुए उक्त जगह के नाम के साथ वहां शाइन बोर्ड लगाने को कहा ताकि जनता को सहूलियत हो सके। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को प्रमुख गालियों के सुंदरीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने को निर्देशित किया। जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी को बिजली विभाग की तीन वर्ष पूर्व में स्वीकृत बास-बल्ली के स्थान पर दस हजार पोल लगाने की योजना की जांच कराकर उसमें कमी पाये जाने पर उक्त के संबंध में कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर लटक रहे तारों को स्टील पोल के माध्यम से व्यवस्थित कराने हेतु निर्देशित किया ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं होने पाये। उन्होंने लोकनिर्माण विभाग को सड़कों के निर्माण के दौरान जलकल, सीवर की लाइन को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में सावधानी से कार्य करने को कहा। जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन सामग्री का वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में करने को निर्देशित किया गया। ओलंपियन ललित उपाध्याय द्वारा वाराणसी की पुरातन समय से पहचान रहे हॉकी खेल को बढ़ावा देने हेतु उदय प्रताप कोलेज में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाने का प्रस्ताव रखा गया जिसपर मंडलायुक्त द्वारा तत्काल प्रभाव से इस संदर्भ में प्रोजेक्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई करने को स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया गया। विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा द्वारा सेवापुरी के विभिन्न गावों में लटक रहे बिजली के तारों तथा जर्जर पोलों को तत्काल प्रभाव से ठीक कराने को निर्देशित किया गया। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह द्वारा शहर में विभिन्न जगहों पर स्थानीय लोगों को टहलने के लिए पार्कों का निर्माण करने को कहा। उनके द्वारा खोजवां में विद्युत विभाग द्वारा लोगों के काटे गये कनेक्शन का मुद्दा उठाया गया जिसपर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उसे दुरुस्त करने को निर्देशित किया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त एस चिनप्पा, सीडीओ हिमांशु नागपाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायाधिश–दि0 19.09.2024

उपाध्यक्ष वाविप्रा ने दिया पदोन्नति आदेश प्रमाण पत्र

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा पुलकित गर्ग द्वारा 18 सितम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत अवधेश कुमार पाण्डेय वरिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ सहायक

के स्थायी पद पर उपाध्यक्ष द्वारा पदोन्नति हेतु आदेश प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।इसी क्रम में विनोद कुमार यादव कनिष्ठ लिपिक (अस्थायी) को कनिष्ठ लिपिक पद पर स्थायीकरण द्वारा आदेश प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन –दि0 19.09.2024

अवैध निर्माण और रेस्टोरेंट संचालन पर वीडीए ने की कार्रवाई

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। सिगरा स्थित भवन संख्या डी-58/19 ए-4 में अवैध निर्माण और पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। (वार्ड-दशाश्वमेध) के अंतर्गत प्राप्त शिकायती पत्र में बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट और तृतीय एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण में फोनिक्स जिम के संचालन की शिकायत की गई थी।

उक्त शिकायत के आधार पर सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा एव नगर नियोजक प्रभात कुमार एव संबन्धित वार्ड के जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरिक्षण के दौरान मौके पर पाया गया कि भवन बी+जी+3 तलों का व्यावसायिक निर्माण है, जबकि स्वीकृत मानचित्र केवल बी+जी+2 तलों का पाया गया।निर्माणकर्ता द्वार अवैध रूप से एक तल अतिरिक्त निर्माण को हटाये जाने तथा भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद करते हुए पार्किंग के रूप में उपयोग किये जाने निर्देशित किया गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 7 दिनों का समय देते हुए स्पष्ट किया कि अगर इस अवधि में अवैध निर्माण और संचालन बंद नहीं किया गया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 19.09.2024

अवैध निर्माण और रेस्टोरेंट संचालन पर वीडीए की कार्रवाई

वाराणसी। सिगरा स्थित अवैध निर्माण और पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत प्राप्त शिकायती पत्र में बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट और तृतीय एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण में फोनिक्स जिम के संचालन की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत के आधार पर सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा एवं नगर नियोजक प्रभात कुमार एव संबंधित वार्ड के जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरिक्षण के दौरान मौके पर पाया गया कि व्यावसायिक निर्माण है, जबकि स्वीकृत मानचित्र उस तल के लिए नहीं स्वीकृत था। एक तल अतिरिक्त निर्माण को हटाये जाने तथा भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद करते हुए पार्किंग के रूप में उपयोग किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एक सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट किया कि अगर इस अवधि में अवैध निर्माण और संचालन बंद नहीं किया गया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।